रजिस्टर्ड नं0 एल0-33/एस0 एम0/13-14/96.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 2 दिसम्बर, 1996/11 अग्रहायण, 1918

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-171004, 2 दिसम्बर, 1996

संख्या 1-62/96-वि0स0.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली 1973 के नियम 135 के अन्तर्गत मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) द्वितीय संशोधन विधेयक, 1996 (1996 का विधेयक संख्यांक 26) जो दिनांक 2 दिसम्बर, 1996 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में

3588-राजपत्र/96-2-12-96-1,231. (5375) मूल्य : 1 रुपया।

पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ असाधारण राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

हस्ताक्षरित/-
सचिव ।

1996 का विधेयक संख्यांक 26.

मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) द्वितीय संशोधन विधेयक, 1996

(विधान सभा में यथा पुरःस्थापित)

मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 1971 (1971 का 3) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के सैंतालीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) द्वितीय संशोधन अधिनियम, 1996 है ।

धारा 4 का प्रतिस्थापन ।

1971 का 3

2. मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 1971 की धारा 4 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"4. मन्त्रियों के निवास स्थान.—(1) प्रत्येक मन्त्री को, एक निःशुल्क सुसज्जित गृह दिया जाएगा, जिसके अनुरक्षण का प्रभार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा या ऐसे गृह के स्थान पर ऐसी दरों पर भत्ता संदत्त किया जाएगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे :

परन्तु इस उप-धारा के अधीन प्रत्येक अधिसूचना, जारी करने के तुरन्त पश्चात्, राज्य विधान सभा के समक्ष रखी जाएगी ।

(2) राज्य सरकार, मन्त्री को दिए गए गृह का उसे, उसके मन्त्री न रहने की तारीख से पन्द्रह दिन से अनधिक अवधि के लिए निःशुल्क अधिभोग करने की अनुज्ञा दे सकेगी ।

स्पष्टीकरण.—मन्त्री ऐसे किसी मामले में जहां उसको आवास के लिए आबंटित गृह का मानक किराया उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट रकम से अधिक हो, किसी संदाय के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी नहीं होगा ।"

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 1971 की धारा 4 के विद्यमान उपबन्धों के अनुसार प्रत्येक मन्त्री को एक निःशुल्क सुसज्जित गृह दिया जाता है, जिसके अनुरक्षण प्रभार राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाते हैं या ऐसे गृह के स्थान पर मन्त्री को प्रति मास तीन सौ रुपये से अनधिक भत्ता, जैसा राज्य सरकार प्रत्येक मामले में नियत करे, संदत्त किया जाता है । यह रकम कुल खर्च वृद्धि और प्रचलित किरायों की तुलना में बहुत ही कम है । इसलिए मन्त्री, को संदेय उपर्युक्त भत्ते को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार को सशक्त करना आवश्यक समझा गया है । इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक है ।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

शिमला:
2 दिसम्बर, 1996

वीरभद्र सिंह,
मुख्य मन्त्री ।

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 2 के अधिनियमित किए जाने पर राजकोष से प्रतिवर्ष 0.42 लाख रुपये का अतिरिक्त आवर्ती व्यय करना पड़ेगा क्योंकि प्रस्तावित संशोधन भावी प्रभाव का है। इसलिए कोई अनावर्ती व्यय नहीं होगा ।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 2, राज्य सरकार को, मन्त्री को निःशुल्क सुसज्जित गृह के स्थान पर संदेय भत्ता की दर अधिसूचना द्वारा नियत करने के लिए सशक्त करता है और ऐसी जारी की गई अधिसूचना, राज्य विधान सभा के समक्ष रखी जाएगी ।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

[सामान्य प्रशासन विभाग फाईल सं0 जी0 ए0 डी0-सी0 (पी0 ए0) 4-22/94]

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) द्वितीय संशोधन विधेयक, 1996 की विषय-वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन, विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं ।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 26 of 1996.

THE SALARIES AND ALLOWANCES OF MINISTERS (HIMACHAL PRADESH) SECOND AMENDMENT BILL, 1996

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Salaries and Allowance of Minister (Himachal Pradesh) Act, 1971 (Act No. 3 of 1971).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Forty-seventh Year of the Republic of India, as follows:—

Short title

1. This Act may be called the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Second Amendment Act, 1996.

Substitution of section 4.

2. For section 4 of the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 1971, the following shall be substituted, namely :— of 1971

"**4.** *Residence of Ministers.*—**(1) Each Minister shall be provided with a free furnished house, the maintenance charges of which shall be borne by the State Government or in lieu of such house, shall be paid an allowance at such rates as the State Government may fix by notification published in the Official Gazette :**

Provided that every notification under this sub-section, immediately after it is issued, shall be laid before the State Legislative Assembly.

(2) The State Government may allow a Minister to continue in free occupation of the house provided to him for a period not exceeding fifteen days from the date of his ceasing to be a Minister.

Explanation.—The Minister shall not become liable personally for any payment in case the standard rent of the house allotted to him for residence exceeds the amount specified under sub-section (1).".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

As per existing provisions of section 4 of the Himachal Pradesh Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 1971, each Minister is provided with a free furnished house, the maintenance charges of which are borne by the State Government or in lieu of such house a Minister is paid an allowance not exceeding three hundred rupees per month, as the State Government may in each case fix. This amount is too low as compared to overall cost escalations and prevailing rents. Hence it has been considered necessary to empower the State Government to increase the aforesaid allowance payable to the Minister. This has necessitated the amendment in the Act *ibid*.

This Bill seeks to achieve aforesaid objectives.

SHIMLA :
The 2nd December, 1996.

VIRBHADRA SINGH,
Chief Minister.

FINANCIAL MEMORANDUM

Clause 2 of the Bill, when enacted, will entail additional recurring expenditure out of the State Exchequer to the tune of Rs. 0.42 lakh per annum. As the proposed amendment is prospective in effect there will be no non-recurring expenditure.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 2 of the Bill seeks to empower the State Government to fix by a notification the rate of allowance payable in lieu of a free furnished house to a Minister and the notification so issued is to be laid before the State Legislative Assembly.

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

[GAD File No. GAD-C(PA)4-22/94]

The Governor of Himachal Pradesh, after having been informed of the subject-matter of the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Second Amendment Bill, 1996, recommends under Article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill in the State Legislative Assembly.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।